

इसे वेबसाइट [www.govtpress.mp.gov.in](http://www.govtpress.mp.gov.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 17, शक 1947

#### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र. SAMB-0078-2025-FIN-SAMB (525341)-3551.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी निधि लेखा) नियम, 1980 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नियम बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा या प्रबंध संचालक द्वारा यथा निदेशित किए गए अनुसार विचार किया जाएगा।

#### संशोधन

नियम 7(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाये, अर्थात्

7(1) प्रत्येक मंडी समिति अपनी कुल प्राप्तियों (अनुज्ञप्ति फीस तथा मंडी फीस) के 15 प्रतिशत को आरक्षित निधि के रूप में रखेगी, परन्तु प्रबंध संचालक को यह शक्ति होगी कि वह प्रतिशत सीमा को 20 प्रतिशत अधिकतम के अध्यधीन रहते हुये बढ़ा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष कुमार वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र. SAMB-0078-2025-FIN-SAMB (525341)-3552.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष कुमार वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 8<sup>th</sup> December 2025

No. SAMB-0078-2025-FIN-SAMB (525341)-3552.- **Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (RAJYA VIPNAN VIKAS NIDHI) Rules 1980** which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (21) of sub-section (2) of Section 79 read Section the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of fourteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government or the Managing Director.

#### AMENDMENT

For rule 7(1), the following rule shall be substituted, Namely : 7(1) Every Mandi Samiti shall keep 15 percent of its total receipts (license Fee and Mandi Fee) as reserve fund, but the Managing Director shall have the power to increase this percentage limit subject to a maximum of 20 percent.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SANTOSH KUMAR VARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र. SAMB-0078-2025-FIN-SAMB (525341)-3553.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नियम बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा या प्रबंध संचालक द्वारा यथा निर्देशित किए गए अनुसार विचार किया जाएगा।

**संशोधन**

1. नियम 10(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्  
 “किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि को छोड़कर शेष सकल प्राप्तियों के पंद्रह प्रतिशत की दर से मंडी बोर्ड द्वारा पृथक बैंक खातों में प्रत्येक तीन माह में आरक्षित निधि के रूप में राशि जमा करेगा। परन्तु यह की बोर्ड, आरक्षित निधि खाते में मंडी बोर्ड की सकल प्राप्तियों के पंद्रह प्रतिशत के अलावा वर्षान्त की अतिरिक्त (बचत) राशि, अधिकतम वार्षिक सीमा निर्धारित करते हुये समय-समय पर प्रबंध संचालक के अनुमोदन उपरांत जमा कर सकेगा।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 संतोष कुमार वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2025

क्र. SAMB-0078-2025-FIN-SAMB (525341)-3554.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 संतोष कुमार वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 8<sup>th</sup> December 2025

No. SAMB-0078-2025-FIN-SAMB (525341)-3554.-**Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (RAJYA VIPNAN VIKAS NIDHI) Rules 2000** which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (21) of sub-section (2) of Section 79 read Section the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of fourteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government or the Managing Director.

**AMENDMENT**

1. For Rule 10(1), the following rule shall be substituted, Namely:

“The Mandi Board shall deposit an amount at the Rate of fifteen percent of the gross receipts excluding the Farmers Road Fund and Agricultural Research And Infrastructure Development Fund, as reserve fund every three months in a separate bank account maintained by the Mandi Board. Provided that the Board may deposit in the reserve fund account, in addition to fifteen percent of the gross receipts of the Mandi Board, additional year-end (savings) amount, after prescribing a maximum annual limit from time to time after the approval of the Managing Director.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANTOSH KUMAR VARMA, Dy. Secy.